<u>शुद्धि पत्र</u>

<u>संख्या-22/2023/859/एक-1-2023-1-1099/3514/2020</u>

प्रेषक,

सुधीर गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

<u>राजस्व अनुभाग-1</u> <u>लखनऊः दिनांकः 01 सितम्बर, 2023</u>

विषयः-ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित लोक उपयोगिता की भूमि के श्रेणी परिवर्तन, पुनर्ग्रहण एवं विनिमय हेतु सामान्य सिद्धान्तों के निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-18/2023/734/एक-1-2023-1-1099/34/2023, दिनांक 03.08.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अधिसूचना संख्या-15/2023/731/एक-1-2023-1-1099/34/2023, दिनांक 03.08.2023 के क्रम में ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित लोक उपयोगिता की भूमि के श्रेणी परिवर्तन, पुनर्ग्रहण एवं विनिमय हेतु सामान्य सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 03.08.2023 में त्रुटिवश कहीं-कहीं पुनर्ग्रहण शब्द अंकित हो गया है। अतः उक्त शासनादेश में जहां कहीं भी पुनर्ग्रहण शब्द अंकित है, उसे विलोपित समझा जाये। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक उपयोगिता की भूमि का श्रेणी परिवर्तन केवल उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (यथा संशोधित) की धारा-77 (2) के आलोक में विनिमय की स्थिति में ही किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश दिनांक 03.08.2023 इस सीमा तक संशोधित समझा जाए, शेष शर्तें एवं प्राविधान यथावत रहेंगे।

भवदीय,

सुधीर गर्ग

अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।
(2) आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
(3) चकबन्दी आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(6) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
(7) राजस्व विभाग के समस्त अनुभाग।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राम रतन

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।